The Central Public Sector Enterprises (Protection of Interests of States) Bill, 2022

SHRI JOHN BRITTAS: Sir, I move for leave to introduce a Bill to provide for safeguarding the interests and entitlement of States in the eventuality of disinvestment of Central Public Sector Enterprises and to ensure fairness and transparency in the process and for matters connected therewith or incidental thereto.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI JOHN BRITTAS: Sir, I introduce the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, the National Commission of Home-Based Workers Bill, 2022 by Shri Sandosh Kumar P..

National Commission for the Welfare of Home-based Workers Bill, 2022

SHRI SANDOSH KUMAR P. (Kerala): Sir, I move for leave to introduce a Bill to provide for the establishment of a National Commission for Welfare of Home-based Workers and for matters connected therewith.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI SANDOSH KUMAR P.: Sir, I introduce the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, the Places of Worship (Special Provisions) Repeal Bill, 2022 by Shri Harnath Singh Yadav. ...(Interruptions)... Not present. ... (Interruptions)... प्रमोद जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? ...(व्यवधान)...

श्री प्रमोद तिवारी (राजस्थान): जी, सर।...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : आप सब बैठ जाइए। ...(व्यवधान)... प्रमोद जी कुछ कहना चाहते हैं। ...(व्यवधान)... प्लीज़, आप अपनी सीट्स पर बैठ जाइए। ...(व्यवधान)... प्लीज़, आप अपनी सीट्स पर बैठ जाइए। ...(व्यवधान)...

श्री प्रमोद तिवारी: सर, मैं आपके संज्ञान में संविधान की दो बातें लाना चाहता हूँ। यह चार पैरों पर खड़ा है।

श्री उपसभापति : प्रमोद तिवारी जी, आप किस बारे में बात कर रहे हैं?

श्री प्रमोद तिवारी: सर, चूँकि यह एजेंडा में आ गया है, इसलिए। want to...

श्री उपसभापति : जो बिल इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, आप उस पर कुछ नहीं कह सकते हैं। ...(व्यवधान)... अगर इंट्रोड्यूस हुआ होता, तब आपको बोलने का अधिकार होता। ...(व्यवधान)...

श्री प्रमोद तिवारी: सर, मैं बोल सकता हूँ। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : जी, नहीं। अगर बिल इंट्रोड्यूस हो चुका होता, तब आपको बोलने का पूरा अधिकार होता। ...(व्यवधान)... यह बिल हाउस की प्रॉपर्टी ही नहीं है।

श्री प्रमोद तिवारी: सर, मेरी बात रिकॉर्ड पर आ गई है। ...(व्यवधान)... यह कॉन्ट्राडिक्शन होगा, क्योंकि यह अभी सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए इसे न लिया जाए। ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we will take up the Right to Health Bill, 2021 by Prof. Manoj Kumar Jha, for consideration and passing.

The Right to Health Bill, 2021

PROF. MANOJ KUMAR JHA (Bihar): Sir, I move:

That to provide for health as a fundamental right to all citizens and to ensure equitable access and maintenance of a standard of physical and mental health conducive to living a life in dignity and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration.

श्री उपसभापति : झा साहब, आप अगर इस पर कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं।

प्रो. मनोज कुमार झा: आदरणीय उपसभापित जी, यह बिल मैं लेकर आया हूँ, लेकिन इस बिल के पीछे सदन के कई सदस्य, जो आज नहीं हैं, चाहे वे भाजपा के हों, ट्रेज़री बेंचेज़ के हों या अपोज़िशन के हों, हम सबने कोविड की महामारी के बाद सेंट्रल हॉल में इस पर कई दफा चर्चा की। मैं इसको व्यक्तिगत बिल नहीं मानता, बिल्क इसका जन्म एक सामूहिक सोच, एक सामूहिक हिन्दिकोण और एक सामूहिक प्रसंगवश हुआ है।

सर, मुझे स्मरण है, आज से ठीक एक वर्ष पूर्व, 21 जुलाई, 2021 को इस सदन में कोविड पर चर्चा हुई थी। उस समय यह भी चर्चा हुई थी कि कोविड की महामारी से क्या-क्या खत्म हुआ। आज जब मैं इस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ तो कहीं न कहीं मुझे यह भी लगता है कि मैं क्या भूलूँ, क्या याद करूँ? सर, जब सदन में चर्चा हो रही थी, तो उसी दौरान मैं बिहार गया था। वहाँ पर भी हमने उसका कहर देखा। उसके लिए किसी सरकार का दोष न कहकर एक व्यवस्था के चरमरा जाने के हम साक्षी रहे। हम उस ऐतिहासिक क्षण के गवाह हैं, जब हमारे हाथ से चीज़ें फिसल रही थीं। उस समय बिहार विधान मंडल के कृछ सदस्य, हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी